



सरकूलर नं0 अपमा/2016-2018/294

दिनांक : 2-6-2018

## “ ट्रेड लाईसेंस के सन्दर्भ में

जैसा कि आप सभी व्यापारी भाईयों अपमा सरकूलर के माध्यम से कई बार सूचित किया था कि DMC Act कि धारा 417 के तहत बिना ट्रेड लाईसेंस के व्यापार करना प्रतिबंधित है, इसलिए ट्रेड लाईसेंस अवश्य बनवा लें। उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रकाशित सूचना के अनुसार जिन दुकानों ने

साथियों, ट्रेड लाईसेंस अवश्य बनवा ले यह आपके व्यापार के हित में है। व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपकी संस्था अपमा ने दिल्ली नगर निगम द्वारा अधिकृत M/s. M.R. Associates के दो कर्मचारी श्री अनिल कुमार (मोबाइल नं0 9911932174) एवं सुश्री रीतू तिवारी (मोबाइल नं0 8368103959) को ट्रेड लाईसेंस बनवाने हेतु अपमा कार्यालय में बैठने की स्वीकृति दी है, इसलिए व्यापारी भाईयों से निवेदन है कि उपरोक्त M/s. M.R. Associates के कर्मचारी से सम्पर्क कर निम्नलिखित दस्तावेज पूर्ण तैयार करके लाएं :-

01. आधार कार्ड की फोटोकापी
02. आवदेक की फोटो एवं दुकान की फोटो
03. दुकाने का नक्शा, साइट प्लान, Key Plan
04. किराये की रसीद
05. दुकान की रजिस्ट्री की कापी
06. बिजली बिल की कापी
07. Affidavit in Prescribed Formats.
08. Structure Safety Certificate( if Required

साथियों, जिन व्यापारी भाईयों की दुकान/प्रतिष्ठान कई वर्ष पुरानी है तथा 20 मीटर क्षेत्रफल से कम है उनको प्रति वर्ष 500/- रुपये के हिसाब से 5 साल का शुल्क एक बार में ही जमा करवाना होगा यानि कि  $500 \times 5 = 2500$  /- रुपये का **Demand Draft(D.D.)** “Commissioner, North DMC License Fees A/C के नाम का देना होगा। इसके अलावा दूसरा **Demand Draft(D.D.)** “Commissioner, North DMC License Processing Fee A/C” के नाम 914/- रुपये का देना होगा।

साथियों, जिन व्यापारी भाईयों की दुकान/प्रतिष्ठान कई वर्ष पुरानी है तथा 20 मीटर क्षेत्रफल से कम ह उनको प्रति वर्ष 500/— रुपये के हिसाब से 5 साल का शुल्क एक बार में ही जमा करवाना होगा यानि कि  $500 \times 5 = 2500$  /— रुपये का Demand Draft(D.D.) “Commissioner, North DMC License Fees A/C के नाम का देना होगा। इसके अलावा दूसरा Demand Draft(D.D.) “Commissioner, North DMC License Processing Fee A/C” के नाम 914/— रुपये का देना होगा।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि ट्रेड लाईसेंस बनवाने हेतु नगद राशि का बिल्कुल लेन-देन न करें यदि आपसे उपरोक्त कर्मचारी नगद राशि हेतु मांग करते हैं तो आप से अनुरोध है कि इसकी सूचना अपमा प्रधान श्री आर.के. गुप्ता जी के मोबाइल नं0 9891008503 या महासचिव श्री विष्णु भार्गव जी के मोबाइल नं 9811139614 या अपमा कार्यालय के दूरभाष नं 23967505, 23948000 पर अवश्य सूचित करें। यदि कोई व्यापारी भाई ट्रेड लाईसेंस बनवाने हेतु नगद राशि देता है तो वह उसके लिए स्वयं जिम्मेवार होगा।

---

( विष्णु भार्गव )  
महासचिव